रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी मिलों की स्थापना की जाएगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ग) केन्द्र सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिलें स्थापित नहीं करती। तथापि, यह नई चीनी मिलें लगाने के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 1996-97 (31.1.97 तक), के दौरान बिहार राज्य में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा 6 आशय पत्र जारी किए गए हैं।

Inappropriate price to farmers by FCI in Madhya Pradesh for "Swarna Dhan"

171. SHRI LAKKHIRAM AGARWAL: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether rice obtained from "Swarna Dhan" is purchased by rice mills in Chattisgarh of Madhya Pradesh as a fine quality and appropriate prices is paid to the farmers;

(b) whether the same quality of rice is categorised as coarse quality by the Food Corporation of India and inappropriate price is paid to the farmers which results in loss to them;

(c) if so, reasons thereof; and

(d) steps proposed to be taken to pay appropriate price for the rice to the farmers?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) to (d) The procurement of paddy/rice under Minimum Support Price (MSP) is made in accordance with the Group/ classification of paddy/rice based on the length/breadth ratio since Marketing season 1979-80 as per the recommendation of the Balasubramaniam Committee. Accordingly, paddy/rice varieties are classified in superfine, fine and common group.

The Swarna Dhan variety has not been classified by the Government of India for the State of Madhya Pradesh. However, the Food Corporation of India is procuring Swarna Dhan variety in Madhya Pradesh under common group on the basis of length/breadth ratio and is paid for accordingly. The State Government is paying Rs. 15/- per quintal as bonus over and above the price fixed for common group of paddy. The procurement agencies including FCI have been instructed to procure the paddy/rice strictly in accordance with the single grade specification of paddy/rice issued by the Government of India for the kharif marketing season 1996-97 for Central Pool under the MSP.

गेहूं का कम उत्पादन और उसका निर्यात

172. **श्रीमती मालती शर्मा:**
श्री राजनाथ सिंह:

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जनवरी, 1997 को दैनिक जागरण में "गेहूं घोटाले की रकम दो सौ करोड़ हुई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पिछले वर्ष के दौरान गेहूं का कम उत्पादन हुआ और इस प्रकार गोदामों में कम मात्रा में गेहूं भेजा गया। परन्तु इसके बावजूद सरकार ने गेहूं का निर्यात किया और बाद में सरकार को उसका आयात करना पड़ा; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितनी मात्रा में गेहूं निर्यात किया गया, इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई तथा गेहूं के आयात के लिए कितनी व्यय किया गया?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जून, 1996 में यह अनुमान लगाया गया था कि रबी फसल 1995-96 में गेहूं का